बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग

पत्रांक :– यो0(स्था0)नि0–04/2–04/12– 1335 पटना, दिनांक 25.08.2015

प्रेषक,

डा0 दीपक प्रसाद,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन
विश्वेश्वरैया भवन, बिहार, पटना।

सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता,
स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन।

विषय :– **15 (पन्द्रह) लाख रूपये से कम लागत के निर्माण कार्यों हेतु मानक निविदा आमंत्रण सूचना प्रारूप का प्रेषण।**

प्रसंग :–
1. बिहार सरकार पथ निर्माण विभाग संकल्प ज्ञापांक–प्र06/1/बी0/12/2003–5676(s), पटना दिनांक 24.06.2015 सह पठित ज्ञापांक–यो04/ग्रा0क्षे0वि0यो0–57/2015–3640/यो0वि0, दिनांक–29.07.2015
2. बिहार सरकार पथ निर्माण विभाग संकल्प ज्ञापांक–प्र07/नियम–01/2015–5931(s), पटना दिनांक 01.07.2015 सह पठित ज्ञापांक–यो04/ग्रा0क्षे0वि0यो0–57/2015–3641/यो0वि0, दिनांक–29.07.2015
3. बिहार सरकार, योजना एवं विकास विभाग का पत्रांक यो0(स्था0)नि0–04/2–04/12–465 (अनु0) पटना, दिनांक–23.05.2014, पत्रांक 464 (अनु0) पटना, दिनांक–23.05.2014
4. बिहार सरकार, योजना एवं विकास विभाग का पत्रांक यो0(स्था0)नि0–04/2–04/12–439 पटना, दिनांक–19.05.2014

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों के क्रम में सरकार के द्वारा समय–समय पर लिए गये निर्णय के अनुपालन में योजना एवं विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के द्वारा क्रियांवित की जा रही 15 (पन्द्रह) लाख रूपये से कम लागत के असैनिक निर्माण कार्य जिनको निविदा कर किया जाना है के लिए स्थानीय स्तर पर एक नियत समय के लिए वृहद प्रचार–प्रसार सुनिश्चित करते हुये निविदा आमंत्रण हेतु मानक निविदा आमंत्रण सूचना के प्रारूप की प्रति संलग्न कर निदेश दिया जाता है कि :–

1. पत्र निर्गत तिथि के बाद 15 (पन्द्रह) लाख रूपये से कम लागत के निर्माण कार्यों हेतु सभी निविदा स्थानीय स्तर पर वृहद प्रचार–प्रसार कर इस मानक निविदा आमंत्रण सूचना के प्रारूप के अनुरूप ही हो।
2. बिहार सरकार, पथ निर्माण विभाग द्वारा निर्गत संकल्प प्रासंगिक क्रमांक 1 एवं 2 का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
3. बिहार सरकार, पथ निर्माण विभाग द्वारा निर्गत संकल्प प्रासंगिक क्रमांक 1 एवं 2 के आलोक में प्रासंगिक क्रमांक 4 के द्वारा विभागीय पत्र से निर्गत मानक निविदा आमंत्रण सूचना को विषयांकित मानक निविदा सूचना से संशोधित किया जाता है।
4. प्रासंगिक क्रमांक 3 द्वारा निर्गत विभागीय पत्रों से निर्गत मानक निविदा आमंत्रण सूचनाओं को बिहार सरकार, पथ निर्माण विभाग द्वारा निर्गत संकल्प प्रासंगिक क्रमांक 1 एवं 2 के आलोक में विलोपित किया जाता है।
5. बिहार सरकार, योजना एवं विकास विभाग की अधिसूचना संख्या–यो04/एन0पी0लैड्स 4/2014–5438/यो0वि0, दिनांक 24.11.2014 के अनुरूप मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना एवं

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत स्वीकृत 15 (पन्द्रह) लाख रूपये से कम की योजनाएँ जिन्हें विभागीय रूप से भी कराया जा सकता है वह इससे आच्छादित नहीं होगा अर्थात यथावत् रहेगा।

6. संबंधित कार्यालय में बिक्री हेतु प्रत्येक ग्रुप के परिमाण विपत्र बिक्री की तिथि से तीन दिन पूर्व अवश्य उपलब्ध करायेंगे।

7. निविदाओं में पूर्ण पारदर्शिता बरती जाए। योग्य निविदाकारों (संवेदकों) को परिमाण विपत्र तय समय में अवश्य दिया जायेगा।

8. प्रत्येक स्तर पर गठित निविदा निष्पादन समिति (प्रदत्त शक्ति के अनुरूप) तय समय सीमा में निविदा का निष्पादन सुनिश्चित करेगी साथ ही निविदा निष्पादन की कार्यवाही की पंजी संधारण की जायेगी, जिसमें सफल एवं असफल संवेदकों का विवरण दर्ज किया जायेगा एवं सभी सदस्यों एवं अध्यक्ष का हस्ताक्षर होगा।

9. कार्यपालक अभियंता निर्धारित समय सीमा (दस दिनों के अन्दर) में एकरारनामा करेंगे एवं कार्यादेश निर्गत कर कार्य प्रारंभ करायेंगें।

10. निर्धारित अवधि के अन्तर्गत विशिष्टियों के अनुरूप कार्य पूर्ण करायेंगे। प्रत्येक स्तर पर एवं प्रत्येक विपत्र के साथ फोटोग्राफ निर्धारित वेवसाइट पर upload करेंगे एवं फोटोग्राफ की सी०डी० प्रमंडल में जमा रखेंगे।

11. प्राप्त आवंटन के आलोक में विशिष्टियों के अनुरूप कृत कार्य का कम–से–कम एक बार प्रत्येक माह में भुगतान सुनिश्चित करेंगे। विलम्ब होने पर दोषी पदाधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी एवं यदि संवेदक को ब्याज की राशि का भुगतान किया जाता है तो समस्त ब्याज की राशि की वसूली संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी के वेतन से कर ली जायेगी।

उपर्युक्त निदेशों का दृढ़ता से पालन सुनिश्चित किया जाए।

अनु०–मानक निविदा आमंत्रण सूचना एवं आवश्यक शर्तों के प्रारूप की प्रति

विश्वासभाजन

(डा० दीपक प्रसाद)
प्रधान सचिव

12.8.15   12/8/15   20.8.15

बिहार सरकार

योजना एवं विकास विभाग

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय

स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल ....

निविदा आमंत्रण सूचना संख्या .... वर्ष ....

1. विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता : कार्यपालक अभियन्ता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल .... ।
2. परिमाण विपत्र बिक्री करने की तिथि एवं समय : दिनांक .... से .... के (1:00 बजे अपराह्न तक)।
3. निविदा जमा करने की तिथि एवं समय : दिनांक .... को 3:00 बजे अपराह्न तक।
4. निविदा खोलने की तिथि एवं समय : दिनांक .... को 3:30 बजे अपराह्न से।
5. परिमाण विपत्र की बिक्री का स्थान :
   1. सम्बधित सहायक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल (मुख्यालय में) ....।
   2. कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल ....।
   3. अधीक्षण अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य अंचल, ...।
6. निविदा जमा करने का स्थान : उपरोक्त कॉलम पाँच के अनुसार।
7. कार्यों की विवरणी (योजना / शीर्ष / मद का नाम) :

क्र०	कार्य का नाम (कोटि के साथ)	प्राक्कलित राशि (रू० में)	अग्रधन की राशि (रू० में)	परिमाण विपत्र का मूल्य (रू० में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि (माह में)

8. निविदा आमंत्रण सूचना एवं परिमाण विपत्र की भाषा सांकेतिक है। निविदा से संबंधित विस्तृत शर्तें, नियम, अर्हत्ता, अग्रधन का रूप एवं अन्य जानकारी के लिए कार्यालय सूचना पट एवं परिमाण विपत्र बिक्री स्थल पर सम्पर्क किया जा सकता है।

कार्यपालक अभियंता

स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्यप्रमंडल............

9. बिहार सरकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार ठेकेदारी निबंधन नियमावली 2007 (संशोधित) एवं बिहार लोक निर्माण संहिता के संशोधित नियम 159 (क) के अन्तर्गत स्थानीय अभिकर्त्ता श्रेणी–4 में .... जिला के लिए निबंधित, संवेदको से मुहरबंद लिफाफे में क्रमांक 7 में वर्णित योजनाओं (15 लाख रूपये से कम लागत के असैनिक निर्माण कार्य) हेतु निविदा आमंत्रित है।

10. बिहार सरकार पथ निर्माण विभाग के संकल्प ज्ञापांक 5931 (S), दिनांक 01.07.2015 द्वारा आरक्षण का प्रावधान प्रभावी है।

11. (क) बिहार लोक निर्माण संहिता के नियम 159 (क)(ii) के अनुसार किसी एक निविदादाता को एक समय मे अधिकतम तीन योजनाएँ या योजनाएँ जिनकी कुल लागत 25.00 लाख (पच्चीस लाख) रूपये से अधिक न हो की सीमा तक की योजनाएँ के लिए कार्य आवंटित किया जा सकेगा।

(ख) आरक्षण प्रावधान से आरक्षण कोटि के कार्यों के लिए आरक्षण कोटि के संवेदको को एक वित्तीय वर्ष मे एक निविदाकार को 25.00 लाख रूपये तक का ही कार्य आवंटित किया जा सकेगा। आरक्षण के बाद के शेष 50 प्रतिशत कार्य सभी वर्गों के लिए उपलब्ध होगा।

12.8.15

12. संवेदको को कार्य स्थल, प्राक्कलन, कचैरी स्थल एवं सामग्री स्थल इत्यादि की स्थिति, निर्माण सामग्रियों की उपलब्धता की स्थिति से पूर्णरूपेण संतुष्ट होने के पश्चात् ही निविदा मे भाग लेने का परामर्श दिया जाता है। इस संबंध में बाद में किसी भी प्रकार का दावा मान्य नही होगा।

13. (i) राज्य सरकार के किसी विभाग या संस्थान में किसी भी श्रेणी मे काली सूची में डाले गये अथवा कार्यो से वंचित (debarred) संवेदक इस निविदा में भाग लेने के योग्य नहीं होंगे ।

(ii) निविदा के लिए वैसे संवेदक अयोग्य समझे जायेगें जिनको कार्य आवंटन का कार्यादेश प्राप्त हो चुका है लेकिन 10 दिनों की अवधि बीत जाने के पश्चात भी एकरारनामा कर कार्य प्रारंभ नही किए है।

(iii) निविदा सूचना की अन्य सभी शर्तो को पूरा करने के बावजूद, कोई संवेदक निविदा में भाग लेने के योग्य नहीं होंगे यदि :–

(क) संवेदक के द्वारा किसी निर्धारित प्रपत्र, विवरणी, शपथ पत्र या योग्यता प्रमाण पत्र के रूप में समर्पित किसी कागजात या दस्तावेज में गलत या गुमराह करने वाला तथ्य समर्पित किया गया हो।

(ख) किसी संवेदक का कार्य निष्पादन का रिकॉर्ड खराब रहा हो। अर्थात, उन्होंने आवंटित कार्य को अधूरा छोड़ दिया हो, संविदा की शर्तो के अनुसार कार्य सम्यक रूप से पूरा नहीं किया हो, पूर्व से आवंटित किसी कार्य को पूरा करने में गंभीर विलम्ब किया हो, विवाद का इतिहास हो, वित्तीय अक्षमता सिद्ध हुई हो।

(iv) पार्टनरशीप डीड में अंकित कोई पार्टनर, कम्पनी के प्रबंध निदेशक, सहयोग समिति एवं निबंधित संस्थाओं के पदधारक या इन पदों पर कार्य करने वाले पदधारक पूर्व में ब्लैक लिस्टेड है तो वह फर्म/कम्पनी/सहयोग समिति/निबंधित संस्था निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।

14. परिमाण विपत्र

(i) उपरोक्त निविदा परिमाण विपत्र का मूल्य (जो लौटाया नहीं जायेगा) किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/अनुसूचित बैंक द्वारा निर्गत डिमांड ड्राफ्ट जो कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल .... के पदनाम से भारतीय स्टेट बैंक............ में भुगतेय हो, स्वीकार किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में नगद राशि की प्राप्ति कर परिमाण विपत्र की बिक्री नहीं की जायेगी ।

(ii) संवेदक को या संवेदक द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को निबंधन प्रमाण पत्र की छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न रहने पर ही परिमाण विपत्र निर्गत किया जायेगा ।

15. निविदा में संवेदक द्वारा आवश्यक अग्रधन की राशि के साथ निम्नलिखित प्रमाण–पत्रों की अभिप्रमाणित एवं स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है :–

(i) अग्रधन

(क) अनुमोदित परिमाण विपत्र के अनुसार 2 (दो) प्रतिशत की दर से अग्रधन की राशि देय होगी। जो न्यूनतम 500 एवं 100 के गुणक में होगी।

(ख) अग्रधन की राशि जो राज्य के अन्तर्गत राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, किसान विकास पत्र अथवा डाकघर के सावधि 1/2/3 वर्षीय सावधि जमा पासबुक के रूप में हो तथा कार्यपालक अभियन्ता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल .... के पदनाम से विधिवत प्रतिक्षिप्त (Pledged) हो (मूल में)।

(ग) संवेदक द्वारा जमा किये गये अग्रधन की राशि पर किसी प्रकार का सूद विभाग द्वारा देय नहीं होगा।

(ii) जमा किए जाने वाले कागजात

(क) स्थानीय अभिकर्ता श्रेणी–4 में .... जिला हेतु संबंधित पथ प्रमंडल से निर्गत निबंधन प्रमाण–पत्र की प्रति।

12.8.15

(ख) आरक्षण कोटि के कार्यों के लिए निविदाकारो को सक्षम प्राधिकार से निर्गत जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति।

(ग) साझेदारी फर्म/कम्पनी के मामले में डीड एवं आर्टिकल्स ऑफ एसोसियेशन की प्रति।

(घ) पैन कार्ड की प्रति।

(च) वाणिज्यकर/वैट निबंधन प्रमाण–पत्र की प्रति।

(छ) अद्यतन लेबर लाईसेंस की प्रति।

(iii) **घोषणा का शपथ पत्र (मूल में)**

"मैं अधोहस्ताक्षरी (साफ–साफ बड़े अक्षरों में नाम) .... सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी श्री .... शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि :–

(क) मेरे/हमारे विरूद्ध किसी प्रकार का आपराधिक मामला किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है ।

(ख) मुझे/हमें किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी प्रतिष्ठान द्वारा वंचित (Debar), काली सूची में दर्ज (Blacklisted) एवं विगत एक वित्तीय वर्ष के अन्दर एकरारनामा रद्द (Rescind) नहीं किया गया हैं ।

(ग) मेरा कार्य निष्पादन का रिकॉर्ड खराब नहीं है अर्थात, आवंटित कार्य को अधूरा नही छोड़ा है,

(घ) मेरा/हमारा कोई निकटतम संबंधी (अभिप्रेत है पति/पत्नी, माता/पिता, भाई/बहन तथा इस तरह के ससुराल पक्ष के संबंधी) संबंधित कार्य प्रमंडल में कनीय अभियंता/सहायक अभियंता/कार्यपालक अभियंता/प्रमंडलीय लेखा पदाधिकारी/लेखापाल के रूप में कार्यरत नहीं है ।

(च) निविदा में संलग्न सभी प्रमाण–पत्र, कागजात, विवरणी सत्य हैं ।

उपर्युक्त कंडिका 'क', 'ख', 'ग' एवं 'घ' में गलत सूचना देने का दोषी पाये जाने अथवा कंडिका 'च' मे से कोई अभिलेख असत्य, नकली, जाली पाये जाने पर सक्षम प्राधिकार मेरे ऊपर विधि सम्मत दण्ड, मेरे निबंधन को काली सूची में दर्ज करने, प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होंगे।"

(iv) आरक्षित कोटि के कार्यों के लिए निविदादाताओं को शपथ पत्र (मूल में) के माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष में आरक्षण प्रावधान के आधार पर अबतक आवंटित कार्यों की कुल राशि की सूची एवं जाति के सम्बन्ध में शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा। जिसका प्रारूप निम्नवत है :–

(क) मैं .... उम्र .... वर्ष .... सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी .... गॉव/शहर .... प्रखंड .... पोस्ट ऑफिस .... थाना .... अनुमंडल .... जिला .... राज्य .... एतद द्वारा शपथ लेते हुए घोषणा करता/करता हूँ कि :–

पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या–5931(s) दिनांक 01.07.2015 में अंकित प्रावधान के अनुसार आरक्षण का लाभ लेते हुए वित्तीय वर्ष .... में सभी कार्य विभाग, योजना एवं विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, निगम, उपक्रम, प्राधिकरण, परिषद एवं निकाय द्वारा आवंटित कार्यों की कुल राशि .... रू0 है जो रू0 25.00 लाख से कम है। वित्तीय वर्ष .... में आवंटित कार्यो की विवरणी निम्नलिखित है।

क्र0	विभाग/प्राधिकार का नाम	आवंटित कार्य का नाम	आवंटित कार्य की राशि (रूपये में)

12.8.15

(ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु स्वयं शपथ पत्र का प्रारूप

मैं .... उम्र .... वर्ष .... सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी .... गाँव/शहर .... प्रखंड .... पोस्ट ऑफिस .... थाना .... अनुमंडल .... जिला .... राज्य .... एतद द्वारा शपथ लेते हुए घोषणा करता/करता हूँ कि :–

मैं .... जाति से हूँ जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत है।

प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है और मैं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षण सुविधा प्राप्त करने हेतु पात्रता धारण करता/करती हूँ। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य/गलत, जाली, नकली पाई जाती है तो मैं पूर्ण रूप से जानता/जानती हूँ कि इस प्रमाण पत्र के आधार पर आवंटित किया गया कार्य निरस्त कर दिया जायेगा एवं मेरे ऊपर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई, हमेशा के लिए कार्य से वंचित कर देने, मेरे निबंधन को काली सूची में दर्ज करने, प्राथमिकी दर्ज करने के लिए विभाग स्वतंत्र होगा।

(ग) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग जाति हेतु स्वयं शपथ पत्र का प्रारूप

मैं .... उम्र .... वर्ष .... सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी .... गाँव/शहर .... प्रखंड .... पोस्ट ऑफिस .... थाना .... अनुमंडल .... जिला .... राज्य .... एतद द्वारा शपथ लेते हुए घोषणा करता/करता हूँ कि :–

मैं .... जाति से हूँ जो अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2) के अन्तर्गत है।

प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है और मैं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2) के लिए आरक्षण सुविधा प्राप्त करने हेतु पात्रता धारण करता/करती हूँ। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य/गलत, जाली, नकली पाई जाती है तो मैं पूर्ण रूप से जानता/जानती हूँ कि इस प्रमाण पत्र के आधार पर आवंटित किया गया कार्य निरस्त कर दिया जायेगा एवं मेरे ऊपर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई, हमेशा के लिए कार्य से वंचित कर देने, मेरे निबंधन को काली सूची में दर्ज करने, प्राथमिकी दर्ज करने के लिए विभाग स्वतंत्र होगा।

(v) प्रतिशत दर निविदा

(क) कार्य के परिमाण विपत्र की राशि से प्रतिशत के रूप में अधिक, बराबर या कम दर (अंक एवं शब्दों में) अंकित किया जाए ।

(ख) कार्य के परिमाण विपत्र में अंकित राशि से 10% (दस प्रतिशत) से कम की निविदित दर अमान्य होगी।

16. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी ।

17. सक्षम प्राधिकार को बिना कोई कारण बताये निविदा के सभी/किन्ही कार्यों को या किसी कार्य के किन्ही अंश/अंशों को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई दावा मान्य नहीं होगा ।

18. निविदा निष्पादन

12.8.15

(i) यदि निविदा की कंडिका संख्या–15 के अनुसार कोई भी कागजात नहीं रहेगा या अधूरा रहेगा तो उसके निविदा को अमान्य कर दिया जायेगा ।

(ii) अधीक्षण अभियंता / कार्यपालक अभियंता की अध्यक्षता में गठित निविदा समिति द्वारा (निविदा निष्पादन की प्रदत्त शक्ति के अन्तर्गत) अभिलेखों के जाँचोपरान्त निविदा का निष्पादन किया जायेगा।

(iii) सफल न्यूनतम दरदाता संवेदक की निविदा आवश्यकतानुसार दर वार्ता के उपरान्त स्वीकार की जायेगी।

(iv) निविदा में सफल एकाधिक संवेदको से उद्धृत दर समान होने पर लॉटरी (ड्रॉ ऑफ लॉटस) के आधार पर चयनित संवेदक के साथ ही आवश्यकतानुसार दर पर प्रक्रमण (दर वार्ता) किया जायेगा एवं नियमानुसार कार्य आवंटित किया जायेगा।

19. **एकरारनामा**

(क) निविदा में सफल संवेदक को कार्य आवंटन की तिथि से 10 दिनों के अन्दर लोक निर्माण विभाग के प्रपत्र एफ–2 (कंडिका–23 विलोपित) पर एकरारनामा कर कार्य प्रारम्भ करना होगा।

(ख) एकरारनामा करने के उपरांत मासिक कार्य योजना समर्पित करना होगा ।

(ग) अविलम्ब कार्यस्थल पर कार्य से संबंधित सूचना पट्ट उसके आकार प्रकार एवं उसमें भरे जाने वाले विवरण के संबंध में कार्य के प्रभारी अभियन्ता के निदेशों का पालन करना होगा।

20. **भुगतान की प्रक्रिया**

(क) कार्य प्रारंभ के पूर्व, कार्य के दौरान यथा प्रत्येक विपत्र के साथ तथा कार्य समाप्ति के उपरांत, संबंधित कार्य स्थल की फोटोग्राफी / विडियोग्राफी संवेदक को स्वयं करानी होगी एव उसकी सी०डी० सम्बंधित सहायक अभियंता के माध्यम से प्रमंडल में जमा करानी होगी। जिसे निर्धारित वेवसाइट पर प्रत्येक विपत्र के साथ अपलोड किया जायेगा अन्यथा इसके अभाव में कार्य का भुगतान रोक दिया जा सकता है ।

(ख) आवंटन उपलब्ध होने पर ही भुगतान किया जायेगा। आवंटन उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में कोई दावा या ब्याज अनुमान्य नहीं होगा।

(ग) आवंटन उपलब्ध रहने पर विशिष्टियों के अनुरूप कृत कार्य का भुगतान निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के द्वारा प्रत्येक माह में कम–से–कम एक बार निश्चित रूप से किया जायेगा।

21. अन्य शर्तें

(क) निविदा में निर्धारित अवधि के अन्तर्गत ही कार्य को पूरा करना होगा । विशेष परिस्थिति को छोड़कर, अवधि विस्तार की स्वीकृति नहीं दी जायगी ।

(ख) संवेदक को आवंटित कार्य से संबंधित आवश्यकतानुसार सभी यंत्र–सयंत्र की व्यवस्था स्वयं करनी होगी जिसके लिए किसी प्रकार का अग्रिम देय नहीं होगा ।

(ग) कार्यों में प्रयुक्त होने वाले 80 / 100 ग्रेड पैक्ड बिटुमेन (समकक्ष विस्कोस्टी ग्रेड के) अथवा सामग्री जो लागू हो के क्रय एवं आपूर्त्ति की व्यवस्था संवेदक को स्वयं अपनी लागत पर करनी होगी, जिसके लिए उन्हें विभाग से किसी प्रकार का अग्रिम देय नहीं होगा। बिटुमेन का क्रय केवल राष्ट्रीयकृत तेल कम्पनीयों से ही करना होगा तथा बिटुमेन क्रय के 48 घण्टें के अंदर कैश मेमो संबंधित सहायक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अधोहस्ताक्षरी को भी सूचित करना होगा ।

(घ) संवेदक के विपत्र से अन्य आवश्यक कटौतियों के अतिरिक्त 1% (एक प्रतिशत) सेस की राशि भवन एवं सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण बोर्ड मद हेतु कटौती की जायेगी ।

(च) ओवर हेड मद के अंतर्गत होने वाले व्यय यथा गुण नियंत्रण, गोदाम निर्माण–सह–स्थल–कार्यालय का निर्माण, बिजली, पानी, पर्यवेक्षण हेतु वाहन एवं वैट इत्यादि का वहन संवेदक द्वारा ही किया जाएगा ।

12.8.15

(छ) प्राक्कलित राशि घट–बढ़ सकती है तथा कार्य स्थल के अनुसार निरूपण में परिवर्त्तन किया जा सकता है।

(ज) यह निविदा आमंत्रण सूचना एवं परिमाण विपत्र के साथ निर्गत विशेष शर्त्त भी एकरारनामा का अंग होगा ।

कार्यपालक अभियंता
स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल ....

ज्ञापांक :– ..../.............................. दिनांक – ....

प्रतिलिपिः– अधीक्षण अभियन्ता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य अंचल .... को सूचनार्थ समर्पित ।

कार्यपालक अभियंता
स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल ....

ज्ञापांक :– ..../.............................. दिनांक – ....

प्रतिलिपिः– मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, योजना एवं विकास विभाग, चतुर्थ तल विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ समर्पित ।

कार्यपालक अभियंता
स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल ....

ज्ञापांक :– ..../.............................. दिनांक – ....

प्रतिलिपिः– प्राक्कलन पदाधिकारी/सम्बन्धित सहायक अभियंता/ प्रमंडलीय लेखा पदाधिकारी, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कार्यपालक अभियंता
स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल ....

ज्ञापांक :– ..../.............................. दिनांक – ....

प्रतिलिपिः– कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल ..../ कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल ..../ कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, कार्य प्रमंडल ..../ कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल ..../ कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, कार्य प्रमंडल ..../ कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन विभाग, कार्य प्रमंडल ..../ कार्यपालक अभियंता, जिला परिषद ..../ कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–01 या 02 (सम्बंधित है तो) .... को सूचनार्थ प्रेषित।

कार्यपालक अभियंता
स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल ....

12.8.15